न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 75/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.डॉ.मोहित आशिया पुत्र डॉ.श्री लादुदान चारण जाति चारण निवासी शक्तिनगर गली नम्बर 06 पावटा सी रोड जोधपुर।		01.सुमन चौधरी पत्नि श्री जोराराम जाति जाट निवासी डूडी नगर दुगर तहसील शेरगढ पचपदरा जिला बाडमेर। 02.पुनी देवी पत्नि श्री बिरदारामजी 03.सुगनादेवी पुत्री बिरदारामजी 04.इन्दिरा पुत्री बिरदारामजी 05.चुकीदेवी पुत्री बिरदारामजी 06.जगाराम पुत्र श्री बिरदारामजी जातियान चारण निवासीगण ग्राम कटारडा भाण्डू कला तहसील झंवर जिला जोधपुर। 07.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –
01.प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवडा।
02.अप्रार्थीगण संख्या 06 की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा।

आदेश

दिनांक :– 13/01/2023

प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमे प्रार्थी की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि ग्राम कटारडा तहसील झंवर जिला जोधपुर मे खसरा नम्बर 151/1 कुल रकबा 0.3237 हैक्टर आयी हुई है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा की तरफ ग्राम रोहिला भाण्डू तहसील झंवर की सरहद है जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 42 कुल रकबा 4.7186 हैक्टर एव अप्रार्थी सख्या एक की खसरा नम्बर 39/3 की कुल रकबा 0.5059 हैक्टर कृषि भूमियॉ आयी हुई स्थित है उसके बाद मे कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 39/1 आया हुआ स्थित है। सुविधा के लिहाजा से प्रार्थी एव अप्रार्थीगण की खातेदारी की जमाबन्दिया एव कटाणी रास्ते से लेकर प्रार्थीगण की खातेदारी तक का राजस्व नक्शा इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया गया कि कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 39/1 ग्राम रोहिला भाण्डू एव प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 151/1 ग्राम कटारडा की भूमि के मध्य अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 39/3 एव 42 ग्राम रोहिला भाण्डू की कृषि भूमियां स्थित है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या एक से छःसे निवेदन किया कि दक्षिण दिशा मे स्थित कटाणी रास्ते से प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 39/1 एव 42 मे से 30 फुट का रास्ता कटाण करवा दिया जावें एव उसके बदले मे उचित प्रतिफल राशि ले लेवे। लेकिन अप्रार्थीगण संख्या एक से छः ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध ही नही है इस कारण से प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमियो पर कृषको से खेती भी नही करवा पा रहा है एव रास्ते के अभाव मे कोई भी कृषक कृषि कार्यो हेतु तैयार ही नही है इस कारण से प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि बंजर भूमि को रूप ले रही है। प्रार्थी द्वारा ग्राम रोहिला भाण्डू के कटाणी रास्ते के खसरा नम्बर 39/1 से अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 39/3 एव 42 ग्राम रोहिला भाण्डू की कृषि भूमियो मे से अपने खेत खसरा नम्बर 151/1 तक कृषि कार्यो हेतु जाने हेतु रास्ते का नजरी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

नक्शा इस प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत किया गया जिसे ए से बी मार्क कर 30 फुट चौडाई का दर्शाया गया है उक्त रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया। इन तमाम परिरिथतियों मे प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय मे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। इसलिए माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये सुचना होने के बाजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नही अप्रार्थीगण संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित लेकिन उनकी ओर जबाव पेश नही किया गया उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर बहस सुनी गई तहसीलदार झंवर द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी जो शामिल मिसल हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का समर्थन करती हैं ।

पत्रावली मे बहस सुनी गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया । मौका फर्द दिनांक 17.08.2023 के अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते का खसरा संख्या 151/1 मे जाने के लिए खसरा संख्या 42 व 39/3 मे से चौडाई 30 फीट का रास्ता जो कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

ऐसी स्थिति मे धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट प्रावधान है कि किसी खातेदार की जोत मे पहुचने का कोई रास्ता न हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव होने एव रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने पर लधुतम एव निकटतम मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के अभिवचन /बहस एव तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः–प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि मौका फर्द दिनांक 17.08.2023 मे वर्णित प्रस्तावित रास्ता जो खसरा नम्बर 42 व 39/3 राजस्व ग्राम रोहिला भाण्डू के रूप मे दर्शित किया है उसे राजस्व रेकर्ड एव नक्शे मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज करे मौके पर कायम करे। एव प्रार्थी उक्त रास्ते की प्रतिफल की राशि जो ...का फर्द दिनाक 17.08.2023 मे अंकित है वह प्राथी द्वारा प्रतिफल राशि के चैक अथवा ...डी बनाकर तहसीलदार झंवर के समक्ष प्रस्तुत करे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार ...र का तहरीर जारी की जावे। एवम्र मौका फर्द दिनांक 17.08.2023 इस आदेश का अभिन्न ... समझी जावेंगी । आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(पुखराज कांसोटिया RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner